K

सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मनीषा वर्मा

NATIONAL
HEALTH POLICY 2017
TOWARDS A HEALTHY
TOMORROW

स्वास्थ्य मंत्रालय, लाभार्थी के क्षमता से अधिक (आउट आफ पॉकेट) खर्चों को कम करने के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सामर्थ्य और इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर लगातार कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी सरकारी उपचार केन्द्रों में नि:शुल्क ड्रग्स एवं डायग्नोस्टिक कार्यक्रम के माध्यम से नि:शुल्क आवश्यक दवाइयां और निदान सूचक सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं। अन्य अभिनव पहल के अंतर्गत कम कीमत की दवाइयां और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं

देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में, गत चार वर्षों में बहुत अधिक कार्य हुआ है। चाहे नीतिगत बदलाव हो, नए कार्यक्रम हों अथवा योजनाएं हों और चाहे वित्तीय अथवा वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना हो, स्वास्थ्य देखभाल के प्रत्येक पहलू में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। सरकार समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए 'सबका साथ सबका विकास' के तहत स्वास्थ्य का विषय इसके केन्द्र बिंदु में रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अधिक कमजोर और सेवा से वंचित तबके तक हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने सबके लिए स्वास्थ्य-कवरेज को विस्तारित करने के लिए कई पहलें की हैं।

नीतिगत मामलों के फ्रंट पर, देश के बदलते सामाजिक-आर्थिक और महामारी विज्ञानगत परिदृश्यों के चलते पैदा हुई वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से 15 वर्षों के अंतराल के बाद, उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की घोषणा है। जबकि, इस नीति में देश के स्वास्थ्य देखभाल के सभी घटकों को समाहित किया गया है और इसका मुख्य फोकस निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और ऐसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, इन्हें समर्थकारी बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर है। अन्य नीतिगत प्रयासों में, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, एचआईवी तथा एड्स (निवारक एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 और देश की सभी मेडिकल सीटों में प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश-परीक्षा हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में संशोधन करना शामिल है। *राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट)* के अंतर्गत पहली बार निजी कालेजों और मान्य विश्वविद्यालयों सहित सभी के लिए एक समान प्रवेश-परीक्षा है। साथ ही, मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा की मेरिट-सूची के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगों के लिए वार्षिक स्वीकृत इनटेक क्षमता में वृद्धि करते हुए इसे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

पूरे देश में सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज को विस्तारित करने हेतु दूसरी युगान्तकारी पहल *आयुष्मान भारत* है। दो घटकों अर्थात 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) और *राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम)* के माध्यम से युनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अपने कदम बढ़ाते भारत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2018 को जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) के जंगल में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरूआत की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम) सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनने वाली है। इससे जनसंख्या के उस तबके की अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जो वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अब तक छिपी रही थी। इसका उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को आपात स्थिति में भारी भरकम स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से बचाना है। 50 करोड़ लोगों (लगभग 10 करोड़ परिवारों से)

लेखिका भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मीडिया एवं संचार निदेशक हैं। ईमेल: pibhealth@gmail.com

आयुष्मान भारत योजना
2018

को 5,00,000 रुपये प्रति परिवार/प्रतिवर्ष के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने पर कमोबेश सभी द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सा देखरेख को शामिल करते हुए लगभग 40 प्रतिशत आबादी को इससे लाभ पहुंचेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय, लाभार्थी के क्षमता से अधिक (आउट आफ पॉकेट) खर्चों को कम करने के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सामर्थ्य और इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर लगातार कार्य कर रहा है। *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन* के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी सरकारी उपचार केन्द्रों में *निःशुल्क ड्रग्स एवं डायग्नोस्टिक* कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क आवश्यक दवाइयां और निदान सूचक सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं। अन्य अभिनव पहल के अंतर्गत कम कीमत की दवाइयां और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 22 राज्यों में फैली 124 अमृत फार्मेसी के माध्यम से 5200 से अधिक औषधियां (कार्डियोकैस्बुअल, कैंसर डायबिटिज, स्टाट्स आदि से संबंधित औषधियों सहित) इम्प्लांट सर्जिकल डिस्पोथजेबल्सि तथा अन्य कंज्यूमेबल्स को बाजार दरों की तुलना में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय छूट पर बेचा जाता है। कुल 566.36 करोड़ रुपये के एमआरपी मूल्य वाली औषधियां 254.36 करोड़ रुपये में प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों के 311.90 करोड़ रुपयों की बचत हुई। *प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएम-एनडीपी)* के अंतर्गत 2,37,139 रोगियों को सेवाएं प्रदान की गई और 497 डायलिसिस ऑपरेशनल यूनिटों/केन्द्रों और 3330 टोटल ऑपरेशनल डायलिसिस मशीनों के द्वारा 22,84,353 निःशुल्क डायलिसिस संचालित किए गए। इसके साथ ही अपने *मातृका स्वास्थ्य कार्यक्रम* के हिस्से के रूप में 6485.17 करोड़ रुपये के व्यय के साथ जननी शिशु योजना के अंतर्गत 388.65 लाख माताओं को लाभ पहुंचाया गया। इसके परिणामस्वरूप देश में संस्थागत शिशु जन्म (डिलीवरी) की दर 47 प्रतिशत (डीएलएचएस-3, 2007-08) से बढ़कर 78.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-4 2015-16) पहुंच गई है। एक नए कार्यक्रम, *प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान* से 1.16 करोड़ प्रसूति-पूर्व जांचों के माध्यम से 6 लाख से अधिक उच्च जोखिम की गर्भावस्था का पता लगाने में मदद मिली। एक अन्य नई पहल है- *लक्ष्य-लेबर रूम गुणवत्ता सुधार पहल* जो 11 दिसम्बर, 2017 को शुरू की गयी है। यह लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों से संबंधित मुख्य प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक केन्द्रीकृत और लक्षित दृष्टिकोण है।

एनएचएम के अंतर्गत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा समय में पूरे देश भर में 1416 सचल मेडिकल यूनिटें और 24276 रोगीवाहन (104/108) प्रचालन में हैं। जन स्वास्थ्य प्रणालियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 7990 निर्माण कार्यों और 9615 मरम्मत कार्यों को पूरा किया गया, देश भर में 73879 'आशा' कर्मियों का चयन किया गया और 76283 स्वास्थ्य किटें मुहैया करायी गई तथा 8149 आयुष चिकित्सक नियुक्त किए गए।

एनएचएम के अंतर्गत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा समय में पूरे देश भर में 1416 सचल मेडिकल यूनिटें और 24276 रोगीवाहन (104/108) प्रचालन में हैं। जन स्वास्थ्य प्रणालियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 7990 निर्माण कार्यों और 9615 मरम्मत कार्यों को पूरा किया गया, देश भर में 73879 'आशा' कर्मियों का चयन किया गया और 76283 स्वास्थ्य किटें मुहैया करायी गई तथा 8149 आयुष चिकित्सक नियुक्त किए गए। एक सफल और युगान्तकारी उपलब्धि यह रही है कि भारत को, दिसम्बर, 2015 की वैश्विक लक्ष्य 6 तारीख के बहुत पहले अप्रैल, 2015 में ही *मातृत्व एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन (एनएनटीई)* के लिए अभिपुष्ट कर दिया गया था। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में पांच वर्ष के अंदर होने वाली मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से नीचे गिरा है। *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन* की अवधि के दौरान आईएमआर में कमी की वार्षिक मिश्रित दर प्रतिशतता भी 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई है। देश की समग्र गर्भाधान दर (टीएफआर) 1990 में 3.8 से घटकर 2005 में 2.9 तथा वर्ष 2013 में 2.3 हो गई है और 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही 2.1 से कम का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिया है।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विश्व की सबसे बड़ी जनस्वास्थ्य कार्य योजना अर्थात पांच नइ वैक्सीन (मीजल्स-रूबेला, न्यूनमोकोकाल, रोटावायरस, इनएक्टीतवेटेड पोलियो और जापानी इंसेफलाइटिस) की शुरुआत द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार है, जिसमें अब कुल वैक्सीन की संख्या 12 हो गई है। *मिशन इन्द्रधनुष*, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसने 528 जिलों में अपने 4 चरण पूरे कर लिए हैं। इस मिशन मोड स्कीम के अंतर्गत 2.55 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया और 66.57 लाख गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक टी.बी. मुक्त भारत की उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) के हिस्से के रूप में 400,000 से अधिक डॉटा केन्द्रों, 74 कल्चर एवं ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में ड्रग-रजिस्टेंट टी.बी. ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण के निदान संबंधी नेटवर्क के माध्यम से ड्रग सेंसिटिव टी.बी. का उपचार मुहैया कराया जाता है।

से प्रतिरक्षित किया गया और 68.78 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया जा रहा है। मिशन इन्द्रधनुष के अकेले पहले दो चरणों में विगत 1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में एक वर्ष में संपूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल यही नहीं, 90 प्रतिशत के समग्र प्रतिरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने की तारीख को प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय से पहले इसे दिसम्बर, 2019 में ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वडनगर, गुजरात में 8 अक्तूबर, 2017 को गहन मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसे 121 जिलों, 17 शहरी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों (24 राज्यों के कुल 190 जिलों/शहरी क्षेत्रों में) में संचालित किया जाएगा।

केवल प्रतिरक्षण ही नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बच्चे के जीवन के हर एक स्त्री अर्थात् पूर्व प्रसूति से लेकर किशोरवय और वहां से परिवार नियोजन एवं गर्भाधान स्तर तक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई एक कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। *एमएए-मदर्स एब्सोकल्यूवट अफेक्शन* ने दुग्ध-पान पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया है। बचपन में होने वाले डायरिया के कारण बच्चों में होने वाली मृत्यु का सामना करने के लिए गहन-डायरिया-नियंत्रण-पखवाड़े के माध्यम से वर्ष 2014 से अब तक 5 वर्ष से कम आयु के 2213 करोड़ बच्चों तक पहुंच कायम की गई है। मृदा संचारित हेलमिंथ संक्रमणों पर काबू पाने के लिए विकृमिरोग दिवस के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 से, 1 से 19 वर्ष के समूह में, बच्चों को अल्बेंडाजोल की 97 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं। साथ ही, देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के प्रबंधन हेतु 1150 पोषणीय पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 4डी अर्थात जन्म के समय विकृतियां, बीमारियां, कमियां तथा विकास में विलंब की शीघ्र पड़ताल और प्रबंधन के द्वारा शिशु स्वास्थ्य जांच तथा शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं तथा तृतीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में शल्य-चिकित्सा सहित चिन्हित की गई 30 स्वास्थ्य दशाओं के नि:शुल्क प्रबंधन के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। सितम्बर, 2017 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1.55 करोड़ बच्चों को उपचार प्राप्त हो चुका है। किशोरवय स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के साथ *राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम* की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किशोरवय अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों में 7516 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इन क्लिनिकों में एक वर्ष में लगभग 60 लाख किशोर परामर्श और क्लिनिकल सेवाएं प्राप्त करते हैं।

इस मंत्रालय ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्राथमिकता तय की है। वर्ष 2016 में *मिशन परिवार विकास* कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि मुख्य पहलों के साथ-साथ 146 उच्च गर्भाधान वाले जिलों की निरोधों और परिवार नियोजनों के उपायों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। इसके अंतर्गत, उप-केन्द्र स्तर तक नवीन निरोधक उपलब्ध कराए जाते हैं। नई पहल के भाग के रूप में, नव दम्पतियों को 'आशा' कर्मियों द्वारा परिवार नियोजन किट मुहैया करायी जाती है। परिवार नियोजन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर खुली बातचीत करने के लिए युवा विवाहित महिलाओं और उनकी सास को बढ़ावा देने हेतु सास-बहू सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा पूरे देश में परिवार नियोजन विकल्पों की बास्केट में तीन नए निरोधकों को शामिल किया गया है अर्थात- अन्तर कार्यक्रम के अंतर्गत इंजेक्टेबल कान्ट्रा सेप्टिव एमपीए (मीड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट), केन्चे रोमन (छाया) तथा प्रोजेस्टेवरोन ऑनली पिल्स और इंजेक्टेकबल तथा सेन्ट्क्रोमेन शुरू किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ एवं प्रवर्धित करने के लिए नए 'एम्स' की घोषणा की गई है तथा विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, वहन करने योग्य विश्वसनीय तृतीय स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना है।

जुलाई, 2014 से छह कार्यशील 'एम्स' में (पिछले एक वर्ष में बढ़ाए गए 850 बिस्तरों सहित) 1675 बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है और वर्ष 2017-18 में झारखण्ड और गुजरात में 2 नए 'एम्स' की घोषणा की गई है। उक्त छह 'एम्स' में सेवाओं के बास्केट में विस्तार किया गया है और वर्तमान में प्रतिमाह औसतन 163 बड़ी सर्जरी की जा रही हैं। साथ ही, चार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है जिससे 902 अस्पताल बिस्तरों, छह सुपर स्पेशियलिटी विभागों और तीन ट्रॉमा सेंटरों की वृद्धि हुई तथा 13 और राजकीय मेडिकल कॉलेजों के स्तरोन्नयन परियोजनाओं के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में, पिछले चार वर्षों में कुल 92 मेडिकल कॉलेजों (46 सरकारी और 46 निजी) की स्थापना की गई है। इसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में एमबीबीएस की 15354 (राजकीय कॉलेजों में 6519 और निजी कॉलेजों में 8835) सीटों तथा पीजी सीटों में कुल 12646 (ब्राड एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम) सीटों की वृद्धि हुई है।

जुलाई, 2014 से छह कार्यशील 'एम्स' में (पिछले एक वर्ष में बढ़ाए गए 850 बिस्तरों सहित) 1675 बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है और वर्ष 2017-18 में झारखण्ड और गुजरात में 2 नए 'एम्स' की घोषणा की गई है। उक्त छह 'एम्स' में सेवाओं के बास्केट में विस्तार किया गया है और वर्तमान में प्रतिमाह औसतन 163 बड़ी सर्जरी की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक टी.बी. मुक्त भारत की उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) के हिस्से के रूप में 400,000 से अधिक डॉटा केन्द्रों, 74 कल्चर एवं ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में ड्रग-रजिस्टेंट टी.बी. ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण के निदान संबंधी नेटवर्क के माध्यम से ड्रग सेंसिटिव टी.बी. का उपचार मुहैया कराया जाता है। इसके साथ ही, 14000 से भी अधिक अभिहित किए गए माइक्रोस्कोपी केन्द्रों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण निदान और एक्टिव केस फाइंडिंग के अंतर्गत 5.5 करोड़ की आबादी को कवर करते हुए टी.बी. लक्षणों के घर-घर जाकर जांच करने संबंधी उपाय भी शामिल हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि टी.बी. रोगियों के उपचार में पुष्ट आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सरकार ने डीबीटी (केन्द्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणानुसार) के द्वारा टी.बी. उपचार की अवधि के दौरान सभी टी.बी. रोगियों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का अनुमोदन प्रदान किया है।

एक दूरदर्शी कदम के रूप में, *राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण* कार्यक्रम के अंतर्गत, 'टेस्ट एंड ट्रीट' नीति का शुभारंभ किया गया है। इसमें, सीडी काउन्ट अथवा क्लिनिकल स्टेज को नजरअंदाज करते हुए एंटी रेट्रो वायरल (एआरवी) के सभी रोगियों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा एआरवी उपचार के दायरे में 01 लाख से भी अधिक अतिरिक्त एचआईवी संक्रमित लोगों को लाया गया है। इसका यह भी अर्थ है कि एचआईवी से संक्रमित 11.75 लाख से भी अधिक लोग एआरवी उपचार पर हैं, जो मार्च, 2014 की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य देखभाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग की बात करती है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास इंटर ऑपरेबल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्डस (ईएचआर) प्रणाली, टेलीमेडिसिन सेवाएं, जन स्वास्थ्य आईटी सोल्यूशंस (मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम/प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अनुप्रयोग, किलकारी एप्प, मोबाइल एकेडमी, एएनएम ऑनलाइन ड्रग्स एवं वैक्सीन विवरण प्रबंधन प्रणाली (ई-औषधि), टी.बी. रोगी निगरानी प्रणाली, 'निक्षय', केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा सुगम और (ई-रक्त कोष आदि) तथा वेब पोर्टलों और मोबाइल एप्लीकेशंस (नेशनल हेल्थ पोर्टल, पीएमएसएमए पोर्टल, मेरा अस्पताल (माय हास्पिटल), एम डायबिटिज कार्यक्रम, इंडिया फाइट्स डेंगू एप्प आदि के विकास सहित कई आईटी प्रयास विद्यमान हैं।

विभिन्न रणनीतिक अभियानों के माध्यम से वहन करने योग्य, पहुंच वाली, गुणवत्ता- पूर्ण स्वास्थ्य देख-रेख मुहैया कराने की दिशा में बहुत तीव्र रूप से फोकस रहा है। इन सभी अभियानों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानव शक्ति को सुदृढ़ करने संबंधी पहलों और अवसंरचना मांगों को पूरा करने संबंधी कदमों का संपूर्ण रचनातंत्र शामिल है। ये सारे प्रयास *स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत* की उपलब्धि हासिल करने की दिशा में किए जा रहे हैं। ☐

IAS THE COUNCIL™ PCS
Since 2003 | एक विश्वसनीय संस्थान
Our Identity is QUALITY, QUALITY & QUALITY

सामान्य अध्ययन

दिल्ली आधारित अनुभवी एवं सशक्त हमारी टीम

कुमार गौरव, अनुज सिंह, शरद त्रिपाठी, धर्मेन्द्र, अनिल केशरी, हामिद खान, बी.के. सिंह, संजय भारद्वाज, निशान्त श्रीवास्तव, मु. सलीम एवं अन्य

हमारी विशेषता- पाठ्यक्रम के संचालन एवं समापन में समयबद्धता

फाउंडेशन कोर्स
बैच प्रारम्भ (प्रत्येक माह)
प्रथम बैच-8 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

मुख्य परीक्षा विशेष
बैच प्रारम्भ (प्रत्येक माह)
प्रथम बैच-10.30 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

वैकल्पिक विषय

भूगोल
द्वारा
कुमार गौरव

समाजशास्त्र
द्वारा
Dharmendra Sociology, Delhi

Mumfordganj Branch : Nigam Chauraha, Allahabad
Civil Lines Branch : Ganpati Tower, 56 Sardar Patel Marg, Allahabad
Contact : 09415217610, 07068696890, 0532-2642349

YH-831/2018